

प्रपत्र-1, भाग-5

कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

(जो लागू हो वही भरा जाये, अनावश्यक को काट दिया जाय)

1-सरकारी सेवक का नाम _____

2-जन्म-तिथि _____

3-सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि _____

4-सेवानिवृत्ति तिथि/मृत्यु तिथि _____

5-कुल अवधि (4-3) वर्ष माह दिन

6-सैन्य सेवा, जो पेंशन के लिये अर्ह है, की अवधि वर्ष माह दिन

7-अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया वर्ष माह दिन

8-कुल सेवा अवधियां (5+6+7) वर्ष माह दिन

9-पेंशन अनर्ह सेवा अवधियां-

(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा वर्ष माह दिन

(ख) सेवा में विच्छेद वर्ष माह दिन

(ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि वर्ष माह दिन

(घ) कोई अन्य सेवा, जो पेंशन हेतु अनर्ह हो वर्ष माह दिन

(कारण सहित उल्लेख किया जाय)

योग (क+ख+ग+घ)

वर्ष माह दिन

10- (क) पेंशन हेतु अर्ह सेवा की अवधि (8-9) वर्ष माह दिन

(ख) कुल अर्ह छमाहियों की संख्या-

11-पेंशन का प्रकार- अधिवर्षता/स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/प्रतिकर/अशक्तता/पारिवारिक

12- (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित परिलब्धियां रु०

(ख) महंगाई भत्ते की दर (%) रु०

(ग) औसत परिलब्धियों का आंगणन

अन्तिम दस माह में प्राप्त/प्राप्त होने वाली परिलब्धियां

धारित पद का नाम	से दिनांक	तक दिनांक	परिलब्धियां मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित
योग (स्तम्भ 4 का)			÷ 10 = रु०

13-पेंशन का आंगणन : $\frac{10 \text{ माह का औसत वेतन} \times \text{छमाहियों की संख्या (अधिकतम 66 छमाहियां)}}{2 \times 66} = \text{रु०}$

14-सेवा उपादान का आंगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) रु० _____

15--(अ) सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान का आंगणन _____

(ब) आगणित धनराशि रु0 _____

16--सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो) रु0 _____

17--सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान की शुद्ध धनराशि रु0 _____

18--पारिवारिक पेंशन का आंगणन :- (क) सामान्य दर (वेतन का 30% की दर से) रु0 _____

(ख) 7 वर्ष की अनवरत सेवा के उपरान्त मृत्यु के दि0 _____ से 7 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो रु0 _____ तथा अनुमन्य राहत, तत्पश्चात् सामान्य दर पर रु0 _____ तथा अनुमन्य राहत

(ग) 7 वर्ष की अनवरत सेवा से कम वर्ष की सेवा में मृत्यु की दशा में सामान्य दर रु0 _____

19--पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक _____

20--पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है (_____ %) रु0 _____

21--राशिकृत मूल्य का आंगणन रु0 _____

22--राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रु0 _____

23--कोषागार का नाम, जहां से पेंशन/सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे _____

24--अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम पारिवारिक पेंशन (यदि स्वीकृत तथा भुगतान की गई हो) रु0 _____

25--अनन्तिम उपादान/अनन्तिम मृत्यु उपादान (यदि स्वीकृत तथा भुगतान की गई हो) रु0 _____

26--पेंशन प्रपत्र, प्रेषण के दिनांक को सेवा निवृत्ति तिथि के ठीक 8 माह पूर्व की निम्न विभिन्न मदों की अवशेष देय धनराशियों तथा विभागीय कार्यवाहियों की स्थितियों का विवरण :-

(1) भवन निर्माण अग्रिम की कोई धनराशि शेष नहीं है/रु0 _____ की धनराशि देना शेष है।

(2) मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम की कोई धनराशि शेष नहीं है/रु0 _____ की धनराशि देना शेष है।

(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम की कोई धनराशि शेष नहीं है/रु0 _____ की धनराशि देना शेष है।

(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है दिनांक _____ तक रु0 _____ की धनराशि किराये के रूप में देना अवशेष है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक _____ तक रु0 _____ शेष रह जायेगा/सेवानिवृत्ति के बाद _____ माह (अधिकतम 4 माह) तक सरकारी आवास में रहने पर कुल किराया रु0 _____ देय है।

(5) ऑडिट के परिणामस्वरूप कोई धनराशि देय नहीं है/रु0 _____ की धनराशि देय है।

(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई धनराशि देय नहीं है/रु0 _____ की धनराशि देय है।

(7) अन्य मदों में कोई धनराशि देय नहीं है/रु0 _____ की धनराशि देय है (मद स्पष्ट की जाय)।

उपरोक्त (1) से (7) उप प्रस्तरों में प्रदर्शित कुल देय धनराशियों रु0 _____ में से रु0 _____ की वसूली सेवानिवृत्ति तिथि तक कर ली जायेगी तथा अवशेष वसूल न हो सकने वाली कुल धनराशि रु0 _____ की वसूली श्री/श्रीमती _____ से नगदी के रूप में की जायेगी अथवा पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपादान/मृत्यु उपादान से कर ली जायेगी (इस सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा देयों की वसूली/समायोजन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये।)

(8) श्री/श्रीमती _____ के विरुद्ध कोई न्यायिक/प्रशासनिक एवं विभागीय जाँच लम्बित नहीं है/जाँच लम्बित है, जो निम्नवत् है :-

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाय)।

हस्ताक्षर--सक्षम उच्च प्राधिकारी
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)
(सील सहित)

(हस्ताक्षर--कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)